



अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान एक्सक्यूशन वाद संख्या- 06/2001-02

बैंक ऑफ इंडिया, मझगाँव।

वनाम

सरफराज अंसारी एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह जारी वाद दिनांक- 24.07.2001 को Bank of India, a body corporate and constituted under the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertaking) Act V 1970 having its Head Office at Express Tower, Nariman Point, Bombay 400021 and Branch Office amongst other place at Majhgaon, Bank of India, Majhgaon Branch, P.O. and P.S.- Majhgaon, District- Singhbhum West द्वारा देनदार 1. Sarfaraj Ansari, S/o- Anwar Ansari, 2. Md. Hydar Ali, S/o- Not Known to the Decree Holder, Both resident of Village- Kharposh, P.O.- Kharposh, P.S.- Majhgaon, District- Singhbhum West को दिये गये ऋण के विरुद्ध यह वाद दायर किया गया है। उक्त मामले में कई बार दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया। लेकिन लम्बे समय तक पैरवी नहीं करने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक- 99/न्या० दिनांक- 25.11.2021 द्वारा दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम नोटिस तामिला हेतु अंचल अधिकारी, मझगाँव को भेजा गया। दोनों पक्षों द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया। लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि- 23.12.2021 एवं 18.01.2022 को स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> 18.01.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p> 18.01.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	